संख्या–1168 / सत्तर–2–2021–16(11) / 2017 टी0सी0

प्रेषकः
शमीम अहमद खान,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2

लखनऊः दिनांकः 27 अक्टूबर, 2021

विषय– उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों / संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों / संस्थाओं में स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों / पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु (आगामी शिक्षा सत्र के लिए) अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय–सारणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1018 / सत्तर–2–2020–16 / (11) / 2017 टी.सी. दिनांक–17.11.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों / संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों / संस्थानों में स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों / पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु शैक्षिक शिक्षा सत्र 2021–22, 2022–23 एवं आगामी शैक्षिक सत्रों के लिए उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण हेतु समय–सारिणी निर्धारित की गयी है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक–17.11.2020 द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों / संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों / संस्थानों में स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों / पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु शैक्षिक शिक्षा सत्र 2022–23 के लिए उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण हेतु निम्नवत् समय–सारिणी निर्धारित की गयी है:–

क्र0	कार्यवाही	शासन द्वारा निर्धारित सम्बद्धता के प्रकरणों को निस्तारित करने की समय–सीमा (आगामी शिक्षा सत्र के लिए)	
		प्रथम चक्र	अन्तिम चक्र
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	**दिनांक–31 अक्टूबर तक।** (1) 31 अक्टूबर तक विश्वविद्यालय में अनापत्ति के ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्ताव सम्बद्धता हेतु आगामी शिक्षण सत्र में विचारणीय होंगे। (2) जो शिक्षण संस्थान समस्त अर्हताएं पूर्ण करते हैं, वे अनापत्ति एवं सम्बद्धता / सम्बद्धता की पूर्वानुमति हेतु एक साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं किन्तु ऐसे प्रस्तावों पर चरणबद्ध तरीके से ही कार्यवाही की जायेगी। इसे एन0ओ0सी0 निर्गत होने के पूर्व	दिनांक–31 दिसम्बर तक। (1) 31 दिसम्बर तक विश्वविद्यालय में अनापत्ति के ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्ताव सम्बद्धता हेतु आगामी शिक्षण सत्र हेतु विचारणीय होंगे। प्रथम चक्र में उल्लिखित

		सम्बद्धता के प्रति प्रतिबद्धता/आश्वासन नहीं माना जायेगा।	प्रक्रिया/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना	**दिनांक–15 दिसम्बर तक।** (1) खतौनी का सत्यापन। (2) संयुक्तता प्रमाण पत्र एवं नजरी नक्शा के लिए स्थलीय निरीक्षण। (3) सत्यापन उन बिन्दुओं तक होगा जो शासनादेश के अनुरुप हों अन्यथा यह माना जायेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुचित आपत्तियां लगाई जा रही है।	**दिनांक–31 जनवरी तक** प्रथम चक्र में उल्लिखित प्रक्रिया/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना	**दिनांक–31 दिसम्बर तक।**	**दिनांक–15 फरवरी तक।**
4	निरीक्षण मण्डल का गठन	**दिनांक–15 जनवरी तक।** (1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक–05 जनवरी तक निरीक्षण मण्डल गठन के सम्बन्ध में आवेदन किया जायेगा। (2) पैनल विश्वविद्यालय तैयार करेंगे, जिसमें सक्षम स्तर के विषय विशेषज्ञ होंगे तथा एक सदस्य, सचिव का नामांकन भी किया जायेगा, जिसका दायित्व निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। (3) पैनल के एक ही अधिकारी को बार–बार सम्मिलित न किया जाये। पैनल में अलग–अलग अधिकारियों को नामित किया जाय, जिससे निरीक्षण कार्यो में विलम्ब न हो। (4) पैनल में जो सदस्य निरीक्षण हेतु समय से न जायें तथा जिनकी सत्यनिष्ठा की शिकायत हो, उनके विरुद्ध मन्तव्य स्थापित करने हेतु उचित कार्यवाही की जाये। (5) पैनल सदस्यों के कार्य आचरण का वर्षानुवर्ष रिकार्ड रखा जाये।	**दिनांक–28 फरवरी तक** (1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 18 फरवरी तक निरीक्षण मण्डल गठन के संबंध में आवेदन किया जायेगा। (2) प्रथम चक्र में उल्लिखित प्रक्रिया/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	**दिनांक–15 फरवरी तक।** (1) प्रस्ताव/अभिलेख की प्राप्ति चेक लिस्ट के अनुसार हो तथा प्राप्त कर्ता द्वारा स्पष्ट रुप से इंगित किया जाये। (2) निरीक्षण आख्या अपूर्ण एवं भ्रामक न हो। शासनादेश में जिन बिन्दुओं की पुष्टि की अपेक्षा है, उसके अनुरुप हो। यह सुनिश्चित करने का दायितव सदस्य सचिव का होगा। (3) समिति का कोई सदस्य असहयोग करता है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेगा।	**दिनांक–31 मार्च तक।** प्रथम चक्र में उल्लिखित प्रक्रिया/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि	**दिनांक–28 फरवरी तक।**	**दिनांक–15 अप्रैल तक।**
7	शासन में अपील	**दिनांक–31 मार्च तक।**	**दिनांक–15 मई तक।**

	करने की अन्तिम तिथि		
8	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	**दिनांक–30 अप्रैल तक।**	**दिनांक–15 जून तक।**

कृपया उक्त समय–सारिणी एवं निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शित सुनिश्चित करते हुए प्रकरणों का निस्तारण संसमय करें।

भवदीय,

(शमीम अहमद खान)
सचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पृश्ठाकनः–पत्रांकः पू0वि0वि0/सम्ब0/2021/10760 — दिनांक : 30-11-2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त प्रबन्धक/प्राचार्य, सम्बद्ध महाविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर को इस आशय से प्रषित कि उपरोक्त शासनादेश के क्रम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
2. विशेष कार्याधिकारी, कुलपति, कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
3. वेबमास्टर को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना को, विश्वविद्यालय, की बेवसाईट पर अपलोड़ करने का कष्ट करें।

30/11/21
सहा0 कुलसचिव